जयपुर शहर

2/8/2022 प्रार्थी पेशी हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी की बहस सुनी। वकील प्रार्थी ने अवगत कराया कि उत्तरार्थी ने अपने जवाब में प्रार्थी के वाद प्रार्थना पत्र के बाबत्ती को कुछ हद तक कुबूल किया गया है। वकील प्रार्थी की बहस समाप्त की गयी। पत्रावली का मनन कर हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि विवादग्रस्त कृषि भूमि राजस्व ग्राम ख.नं. 1381 में एक खुदकील मय पम्प लगा रखा है। आज दिनांक 11/11/2021 को अपने अतिरिक्त आवाई निकेघाड़ा को वाद के निर्णय स्थाई किया जाता है। उत्तरार्थी स्थान पर प्रार्थी के खुदकील का विद्युत कनेक्शन का विच्छेदन तो स्वयं वह नहीं अपने स्तर पर प्रतिक्रिया इत्यादि से कार्यालय। प्रार्थी के विद्युत कनेक्शन/खुदकील के उपयोग/उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे। पत्रावली पत्रावली रूप में कार्यालय में बतौर पैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। दिनांक 2/8/2022 को खुली अदालत में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2022.09.09 15:56:33 IST
Reason: SelfAttested

अरशदीप ब्रार
अ.प्र. कलेक्टर
जयपुर शहर प्रथम